उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, अलवर

अलवर (राज०)

.... बनाम ....

28/12/21

पत्रावली आज पक्षकारान के प्रार्थना पत्र बाबत राजीनामा पर तलब होकर पेश हुई। उभय पक्ष ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के बीच आपस में राजीनामा इस प्रकार सेटल हुआ है कि आराजी खसरा नं० 1350 रकबा 0.21 हे० प्रतिवादी रघुराम की व आराजी खसरा नं० 1353 रकबा 0.21 हे० प्रतिवादी रामखिलारी की व आराजी खसरा नं० 1354 रकबा 0.48 हे० वाके ग्राम भूगोर तह० व जिला अलवर वादीगण पप्पूराम, पूरण मल, मटरूराम का रहेगा। आराजी खसरा नम्बर 1350 के उत्तर-दक्षिण 139 फुट लम्बा व 24 फुट रास्ता कायम सदैव रहेगा व आराजी खसरा नम्बर 1354 में लम्बा 111 फुट चौड़ाई 24 फुट रास्ता कायम सदैव रहेगा। उक्त रास्तों को कोई पक्षकार बन्द नहीं करेगा। आदेशिका पर पक्षकारान के हस्ताक्षर कराये गये। वादीगण पप्पूराम, पूरणमल व मटरूराम की पहचान श्री प्रमिल यादव एडवोकेट ने की प्रतिवादीगण रघुराम, रामखिलारी की पहचान श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने की। मुताबिक राजीनामा बाद वादीगण डिक्री किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नतीजा दर्ज होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्यारे लाल सोंठवाल RAS

उनवान

पप्पूराम वगैo **बनाम** रम्बूराम वगैo

दावा बाबत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
मुकदमा नम्बर :– 1/107/2018
निर्णय दिनांक :– 28.12.2021

वादीगण व प्रतिवादी मय वकील उपस्थित। वाद में आज तारीख 28.12.2021 को अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है कि मुताबिक दस्तावेजी राजीनामा बाबत सहमति के अनुसार वादीगण का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1350 रकबा 0.21 हैo प्रतिवादी रम्बूराम का व आराजी खसरा नम्बर 1353 रकबा 0.21 हैo प्रतिवादी रामखिलारी का व आराजी खसरा नम्बर 1354 रकबा 0.46 हैo वाके ग्राम भूगोर तहसील व जिला अलवर वादीगण पप्पूराम, पूरणमल, मटरूराम का रहेगा। आराजी खसरा नम्बर 1350 में उत्तर दक्षिण 139 फुट लम्बा व 24 फुट चौडा रास्ता कायम सदैव रहेगा। आराजी खसरा नम्बर 1354 में लम्बा 111 फुट चौडाई 24 फुट रास्ता कायम सदैव रहेगा। उक्त रास्ते को कोई भी पक्षकार बन्द नही करेगा। तदानुसार हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 28.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(प्यारे लाल सोंठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर(राज0)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4........ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामील	रूपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशित की तामील कमिश्नर की फीस	रूपया